

विनियम, 2014

प्ररूप क

(विनियम 2 देखिए)

आवेदक द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रस्तुत
की जाने वाली सूचना

स्वतः प्रकटन

उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित जैविक संसाधन का सामान्य नाम:				
वैज्ञानिक नाम:				
व्यापार किए जाने वाले पादप या प्राणी या उनके भाग:				
पहुंच का विशिष्ट प्रयोजन:				
अवस्थिति/स्रोत जहां से उपाप्त किए गए हैं*	मात्रा किलो ग्राम में	दर प्रति ईकाई	राज्य जैविक विविधता बोर्ड	भावी क्रेता/उपयोगकर्ता (यदि ज्ञात हों)

*स्थानीय निकाय/बीएमसी, यदि पहले ही पहचान कर ली गई है तो सूची संलग्न करें

वचनबंध

1. मैंने एबीएस मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा मैं जैविक संसाधनों को लागू सुसंगत विधिक उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।
2. मैं कथित प्रयोजन में कोई परिवर्तन करने से पूर्व एनबीए/एसबीबी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने का वचन देता हूँ।
3. मैं, एनबीए/एसबीबी को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने/दिखाने का, जब भी अपेक्षा हो, वचन देता हूँ।
4. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सूचना सत्य और सही है तथा मैं किसी असत्य/गलत जानकारी और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के लिए उत्तरदायी होंगा।

हस्ताक्षर

व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम
व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता के पूरे पते के साथ फोन नं. और ई मेल का पता

स्थान

तारीख